

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद सं० 2222/ 2022

राज्य बनाम पप्पू लाला

20.10 .2022— पत्रावली कार्यालय द्वारा पेश की गयी। पुकार पर अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार प्रार्थना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उसने अपना जुर्म स्वेच्छा से बिना किसी भय, दबाव के स्वीकार किया। अभियुक्त की जुर्म स्वीकारित के आधार पर उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत 400/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा किया गया।

अनीता गुंज्याल
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल